Serial No. 2099 Circle:-:Phulwari Sharif Book No. :- 1 Deed No. 1880

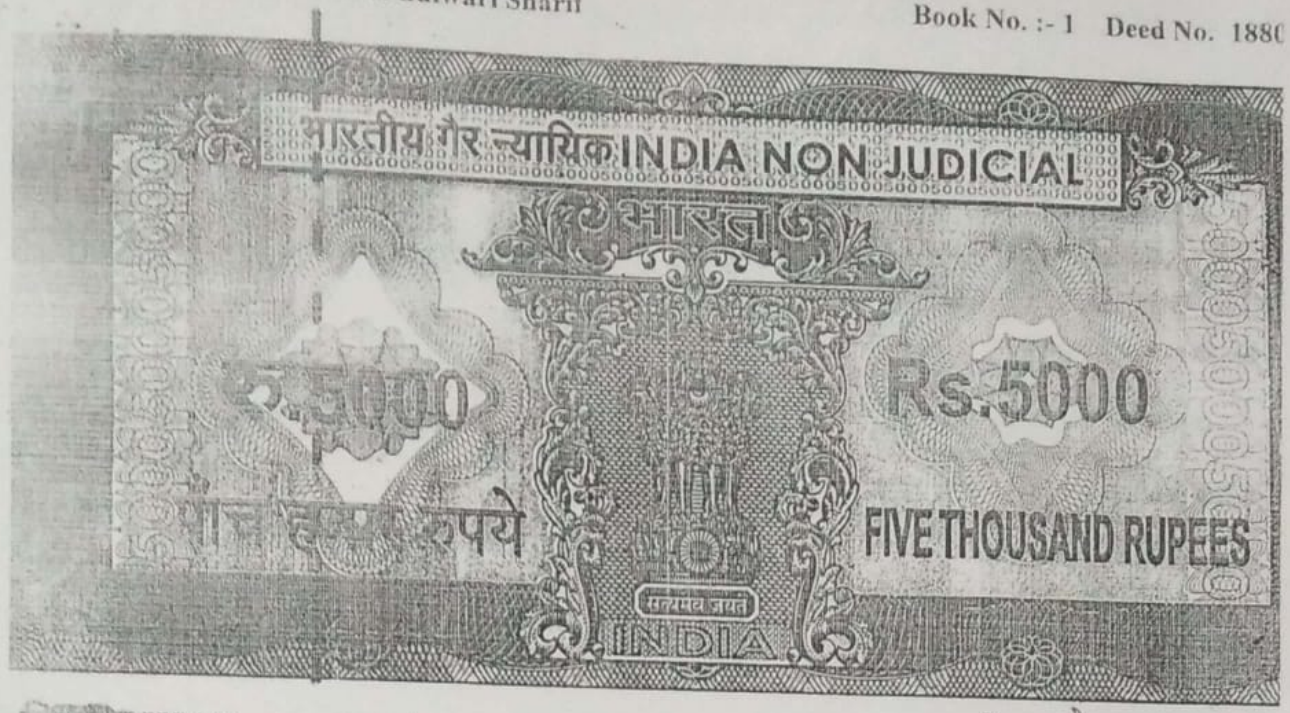

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

Serial No. 2099

Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna
Summary of Document

This document was presented for registration on 24/02/2018 by Manorma Sinha
Stamp Duty of Rs. 149500/- and other Fees of Rs. 25525/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 1880 in Book No. 1, Volume No. 51 on pages from 160 to 179 and has been preserved in total 20 pages in C.D. No. 8 / Year 2018

Date: 24/02/2018 Token No. 2129/2018

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Patna

बिहार सरकार

SCORE-4.1

विकास कार्य एकरारनामा (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

यह एकरारनामा आज दिनांक 24-फरवरी 2018 ई० को निम्नांकित पक्षों के बीच निश्पादित किया जाता है।

श्रीमती मनोरमा सिन्हा पति स्व० अशोक कुमार सिन्हा, निवासी मुहल्ला- पृथ्वीपुर, बैद्यनाथ भवन रोड, चिरैयाटाड, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना (प्रथम पक्ष) भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाना है, जिसमें भूखण्ड स्वामी के

Scanned by CamScanner

District Registry Office, Patna

Token Number 2119 | Reg. Year 2018 | Serial Number 2099 | Deed Number 1880

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Kumar Venkateshwar (Dir.)						
	Kr. Venkateshwar 24/2/18						
Claimant	Rupesh Kumar Jha (Dir.)						
Sig.	Rupesh Kr Rupesh Kumar Jha 24/2/18						
Presented By	Manorma Sinha						
Sig.	मनोरमा सिन्हा 28-2-18						
Executant	Manorma Sinha	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
	मनोरमा सिन्हा 28-2-18						
Identified By	Sanjay Kumar Sinha						
Sig.	Sanjay Kumar 24/02/18						

उप दर्शनुसार स्थल जाँच किया पटनार श्री रूपेश कुमार झा के [illegible] की पहचान एवं जाँच करवाई गई। उक्त भूखण्ड मौजा [illegible] गोपालपुर जिला पटना में अवस्थित है। उक्त भूखण्ड [illegible] है, जो दस्तावेज के अनुरूप पाया।

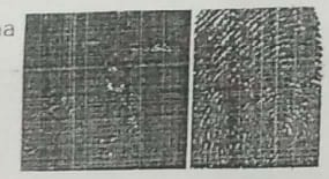

24.02.18
मुकेश कुमार श्रीवास्तव,

मनोरमा सिन्हा
28-2-18

Scanned by CamScanner

भूखण्ड विहित प्रतिनिधिन वारिसान सदस्य प्रधिकृत एजेन्ट उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है।

मो0- 7992286276

एवम्

मेसर्स परशुराम कन्स्ट्रक्सन प्रा0 लि0 जिसका प्रशासनिक कार्यालय सुमति अपार्टमेन्ट फ्लैट नं0 102, न्यू अलकापुरी गर्दनीबाग, थाना- गर्दनीबाग जिला - पटना, जिसके निदेशकगण 1. श्री रूपेस कुमार झा, पिता श्री गजेन्द्र झा निवासी मोहल्ला- सुमती अपॉर्टमेंट फ्लैट नं0 102, न्यू अलकापुरी गर्दनीबाग, थाना- गर्दनीबाग जिला - पटना, 2. निदेशक श्री कुमार वेंकटेशवर पिता श्री चंद्र भूषण सिंह निवासी ग्राम- लक्ष्मण सहाय लेन,गोल बगीचा गबड़ा पर, पोस्ट- रेलवे स्टेशन, थाना -कोतवाली, जिला- गया (बिहार) है, जो विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) है, जिसका अभिप्राय उनके उत्तराधिकारी कार्यालय से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितिय पक्ष विकासकर्ता से है, उन्हें सम्मिलीत किया जाता है।

मो0- 8292597887

1 यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष के सदस्य भूखन्ड स्वामी है जो कि नीचे वर्णित भूखण्ड जिसका रकवा-5 कट्ठा (पाँच कट्ठा) यानि 15.625 डिसमील एराजी हकियत कास्त रैयाती कायमी नगदी आवासीय परती भूमि जिसपर मालिक मुस्तकील निर्विवाद रूप से है जो कि वार्के मौजा-शेखपुरा, महाल- चैनपूर, सर्वे थाना- गोपालपुर, सव रजिस्ट्री फुलवारी शरीफ सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना में स्थित है, जिसका थाना नं- 111 (एक सौ ग्यारह) थाना कोड नं-163, तौजी नं-28, खाता नं-8(आठ), खेसरा सर्वे प्लाट नं-315(तीन सौ पन्द्रह), का अंश, सलाना लगान मो० 3.00 रूपया अलावे शेष वजरिये अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय, सम्पतचक, पटना को जमाबंदी नं0- 507 को देय है। पटना सब निबंधन कार्यालय- फुलवारीशरीफ, सदर निबंधन कार्यालय- पटना और जिला पटना है। सम्पति पटना नगर निगम क्षेत्र के अन्दर है जिसकी पेमाईश एवं चौहदी निम्नलिखित है-

Scanned by CamScanner

पैमाईश

उत्तर :- 42 फीट 03 इंच

दक्षिण :- 42 फीट 06 इंच

पूरब :- 172 फीट 00 इंच

पश्चिम :- 170 फीट 00 इंच

चौहदी

उत्तर :- सिवाने जगनपुरा

दक्षिण :- अहरा

पूरब :- पार्ट प्लॉट का अंश

पश्चिम :- श्री भगवान सिंह

जमीन का कुल मूल्य- 74,22,000(चौहत्तर लाख बाइस हजार)

यह है कि उपर्युक्त प्लाट नं- 315 प्रथम पक्ष की खास खरीदारी सम्पति है, जिसका वैय वसीका नं०- 5630 बुक नं०-1, दिनांक 10.08.1981 ई० को पटना निबंधन कार्यालय के माध्यम द्वारा नविस्ते श्री राम पदारथ सिंह एवं रामसेवक सिंह वल्दान दिपन सिंह, निवासी ग्राम- शेखपुरा, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला- पटना, से खरीद किये हैं। बादहु खरीदारी की तिथि से लेख्यकारी अपनी क्रय सम्पति पर काबिज दाखिल होकर मालिक मुस्तकिल बनकर वो रहकर उससे उत्पतित आय का उपयोग वो उपभोग मौजुदा वक्त तक करते चले आ रही हैं। वो मालगुजारी सालान लगान साल व साल लेख्यकारी अपने नाम से जमाबंदी नं०- 507 के माध्यम से अदा वो वसुल कराते चली आ रही हैं।

2. यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष जो कि भूखण्ड स्वामी है तथा उपर वर्णित सम्पति पर भूखण्ड स्वामी का दखल-कब्जा शान्तिपूर्ण ढ़ंग से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। भूखण्ड हर प्रकार के स्वत्वदोश वो ऋण से मुक्त तथा नुक्स हकियत तो वारदैन से पाक साफ है।

3. यह कि भूखण्ड स्वामी के आन्तिरिक इच्छा से उपर वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के लिए तथा उक्त भूखन्ड पर एक बहुमंजिला इमारत (आवासीय) आधुनिक तकनीक से फ्लैटों का

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) उभय पक्षों के बीच आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्त्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता की हालत में अपना नफा-नुकसान सोच-समझकर बिना किसी के जोर दबाव के निष्पादित किया जाता है।

4. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस जमीन पर उपर्युक्त लिए गए निर्णय के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत हैं। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्त्ता पूर्णतया स्वयं वहन करेंगें।

5. यह कि एकरारनामा के होने के पूर्व ही विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) के कहने पर उक्त जमीन के विकास के लिए लेख्यकारी जमीन मालिक ने नक्शा पास करा लिया है जिसमें कि दोनों पक्षों को अधिक से अधिक लाभ एवं सुविधा हों सकें।

6. यह कि उपर्युक्त नक्शा स्थानीय निकाय से प्राप्त हो चुका है यदि पुनः आवश्यक हुआ तो विकासकर्ता भूस्वामी (प्रथम पक्ष) के हस्ताक्षर से विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) के द्वारा आवश्यकता अनुसार पास कराया जायेगा, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नहीं होगा, परन्तु इसमें जो खर्च होगा वह सभी खर्चे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

7. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल निर्मित क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौंपेगें तथा शेष हिस्सा 50 प्रतिशत क्षेत्रफल द्वितीय पक्ष का होगा।

8. यह कि भूखण्ड स्वामी का हिस्सा एवं विकास कर्त्ता का हिस्सा Architect द्वारा नक्शा बनाये जाने के बाद एवं सम्बधित ऑथेरिटी द्वारा नक्शा पास करने के बाद आपसी सहमति से तय हो जायेगा कि कौन सा एरिया भूखण्ड स्वामी का होगा एवं कौन सा एरिया विकासकर्त्ता का होगा।

9. यह कि विकासकर्त्ता इस विकास इकरारनामा के निष्पादन के दिन से 2 वर्ष (दो वर्ष) के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करेंगे, इसके अतिरिक्त 6 महीने (छः महीने) का समय ग्रेस अवधि दिया जायेगा। अगर उक्त अवधि में भी भूखण्ड को विकसित कर भूस्वामी (प्रथम पक्ष) का हिस्सा उन्हें नहीं सौपा गया तो यह

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

करारनामा स्वतः निरस्त समझा जायेगा और भूस्वामी (प्रथम पक्ष) पूर्ण रूप से भूमि तथा उसपर निर्मित भवन पर अधिकार प्राप्त कर लेगें तथा द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होगें।

10. यह कि विकासकर्त्ता भूखण्ड स्वामी के हिस्से का 50 प्रतिशत निर्माण पूर्ण सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर निर्माण अवधि के अन्दर सौंप देंगे। इसके बाद ही विकासकर्त्ता अपने हिस्से के एरिया को अपने क्रेताओं को सौपेगें।

11. यह कि इस विकास एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक-दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना के साथ छत, सीढ़ी, लिफ्ट, बालकोनी, एमिनीटिज, फ्लैटों का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होगें।

12. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी प्रकार के कानुनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा, जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सकें। निर्माण कार्य में लागत पुंजी का कुल समावेश द्वितीय पक्ष स्वयं करेगें। पुंजी मुहैय्या हेतु द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगही का कार्य सिर्फ अपने हिस्से के 50 प्रतिशत क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेगें।

13. यह कि सरकारी नितियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रुक जाए तब वैसी हालत में विकासकर्त्ता का दोष नहीं होगा। इस हालत में विकासकर्त्ता द्वारा कार्य करने की अवधि बढ़ा दिया जायेगा। अगर विकासकर्त्ता की ओर से गलती होती है तो यह नियम नहीं लागू होगा।

14. यह कि सभी संबंधित विशेष जैसे रचनाकार, अभियंता, सर्वेयर, ठेकेदार आदि की नियुक्ति विकासकर्त्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

15. यह कि बहुमंजिली इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट, औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा आदि

For Parsburam Construction Pvt. Ltd.

For Parsburam Construction

Scanned by CamScanner

अन्य संबंधित कार्यों हेतु संबंधित कार्यों हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन विकासकर्त्ता कर सकते हैं।

16. यह कि द्वितीय पक्ष अपने 50 प्रतिशत हिस्से का एग्रीमेन्ट निर्विवाद विक्रय पत्र, आवंटन, किरायानामा आदि अभिलेख हेतु वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों का निष्पादन करेंगे।

17. यह कि भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा, द्वितीय पक्ष को कार्यकाल में उपयोग हेतु फोटो प्रति दिया जायेगा, जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज के प्रथम पक्ष कार्यकाल में प्रस्तुत करेंगे।

18. यह कि उभय पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानांतरण क्रेता को सरकार खर्च, स्टाम्प ड्यूटी खर्च कोर्ट खर्च एवं रजिस्ट्रेशन खर्च का वहन खरीदार को स्वयं करना होगा।

19. यह कि बहुमंजिली इमारत में विद्युत कनेक्शन की जमानत राशि, प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष द्वारा जमा होगा। हर फ्लैट में बिजली कनेक्शन, हर फ्लैट में टेलिफोन प्वांइट और टेलिविजन प्वांइट हर कमरे में होगा। तथा उभय पक्षों के हर फ्लैट में जेनरेटर का कनेक्सन भी द्वितीय पक्ष द्वारा मुहैया कराया जायेगा।

20. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न होता है तो भू-स्वामी एवं विकासकर्त्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट 1940 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

21. यह कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्त्ता और प्रथम पक्ष के द्वारा एक एसोसिएशन सभी सदस्यों को बनाया जायेगा। इस एपार्टमेन्ट में रहने वाले सभी सदस्य इस एसोसिएशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर एपार्टमेन्ट का रख-रखाव एवं देखभाल करेंगे। एसोसिएशन के सचिव का चयन का अधिकार भू-स्वामी को होगा।

22. यह कि एपार्टमेन्ट में लिफ्ट विद्युत ट्रांसफरमर एवं जेनरेटर निजी तौर पर बैठाया जायेगा, जिसका खर्च द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

For Parsuram Constructio

For Parsuram Constructio

Scanned by CamScanner

23. यह कि सभी न्यायिक मामलों का निपटारा पटना अधिनिस्थ न्यायालय से किया जायेगा।

24. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने शेयर का निबंधन अपार्टमेन्ट एक्ट के तहत कर सकते हैं।

25. यह कि समयावधि में जमीन किसी तरह का विवाद होने पर उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक की होगी। और विवाद के दौरान कार्य बाधित होने पर समय का गणना नहीं होगा।

परिशिष्ट

(1) फाउंडेशन :- आर०सी०सी०पाइलिंग भूंकप अवरोधी स्ट्रक्चरल डिजाईनर के अनुसार।

(2) स्ट्रक्चर :- आर०सी०सी० फ्रेम स्ट्रक्चर।

(3) सिविल वर्क:- प्रथम श्रेणी का ईट वर्क सिमेन्ट मोर्टार के साथ।

(4) छत :- आर०सी०सी०।

नोटः- यह स्ट्रक्चरल इंजीनियर के डिजाईन के अनुसार होना चाहिए

(5) फर्श :- सफेद मार्बल जो कि दो फीट/दो फीट से कम नहीं होगा

(6) प्लास्टर :- सिमेन्ट मोर्टार सिलिंग (1:4) दिवाल (1:6) और सिंलिग एवं दिवाल पर पी.ओ.पी. डिसटेम्पर

(7) दरबाजा :- लकड़ी का चौखट 32 एम.एम. मोटा वाटर प्रुफ टरनाइट प्रुफ फैक्ट्री से निर्मित फ्लस डोर।

(8) खिड़की :- स्टील विंडो/अल्मुनियम खिड़की शिशा के साथ

(9) रसोईघर :- ग्रेनाईट कुकिंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा

For Parshuram Construction Pvt Ltd

For Parshuram Construction Pvt Ltd

Scanned by CamScanner

दिवार में दो फीट रंगीन टाईनिंग रूप में वाश वेशिन

(10) बायरूम :- ठंढा गरम कनेक्शन गीजर कनेक्शन सात फीट दिवाल में ग्लेज (स्पार्टेक) टाईल्स फर्श मार्बल

(11) साइलेन्ट :- जेनरेटर, केबल, इलेक्ट्रीसीटी कनेक्शन, ट्रॉन्सफॉरमर, यह कि द्वितीय पक्ष को लगाना है

(12) विद्युत वायरिंग:- कौन्सिलह पी०वी०सी० कौडयूट वायरिंग सहित एसटैन्डर्ड क्वालिटी आई.एस.आई. निर्मित का फिटिंग स्वीच के साथ।

(13) दिवाल फिनीसिंग:- अन्दर वाल पुट्टी।

(14) सीवेज :- सीवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।

(15) जेनरेटर :- जलापूर्ति तथा कॉमन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे फ्लैटों के लिए अतिरिक्त खर्च पर।

(16) इन्टरकॉम :- सभी फ्लैटों में एक प्वांइट होगा, अतिरिक्त खर्च पर अन्य प्वाईट होगा।

(17) कॉमन प्लेस :-सीढ़ी पर कोटा टाईल्स, मार्बल।

(18) पार्किंग :- सिमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग।

भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष तथा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

उपरोक्त सभी बातों पर सहमत हैं तथा वादा करते है कि मिल-जुल कर इस कार्य को पूरा करेंगें।

मनोरमा सिन्हा
24-2-18

गवाहगण का हस्ताक्षर

भूखण्ड स्वामी का हस्ताक्षर

(1) संजय कुमार सिन्हा
पिता - स्व. अशोक कुमार सिन्हा
मो - पृथ्वीपुर, चिरैयाटाँड़,
पो - जी० पी० ओ
थाना - जक्कनपुर
जिला - पटना
तारिख - 24/02/18

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.
Rupesh Kr.
24/2/18 Director

For Parshuram Construction Pvt. Ltd.
K.V. Venkateshwar
24/2/18
Director

(2)

विकासकर्त्ता का हस्ताक्षर

सुशील कुमार सिन्हा
पिता:- स्व० अशोक कुमार सिन्हा
मो०:- पृथ्वीपुर, चिरैयाँटाड़
पो०:- जी० पी० ओ०
थाना:- जक्कनपुर
जिला:- पटना - 800001
दिनांक:- 24/02/18

Drafted by:
Satish kumar Singh
(Satish kumar Singh)
Advocate
24/2/2018

Director

Typed by:
S. Kr.

G.C.M. Legal consultant & Legal Services
Chitkohra Bazar, (Ratan Apartment) Patna.
Mb.9162562251, 9835253728

सभी प्रकार के रोक से मुक्त पाया
24/2/18
(अमित कुमार)

...ा प्रत्यापन बैंक प्रकोष्ठ से किया।
24/2/18
बाल लिपिक

Scanned by CamScanner

Endorsement of Certificate of Admissibility

... under Rule 5 ... duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ... Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 149500/-**

Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	5000/-
Amt paid through Bank Challan	Rs.	170025/-

Registration Fee

										LLR + Proc Fee		Service Charg
FEE PAID	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR 0	
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee 0	500
	A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25	Total 0	
	A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
									TOTAL-	25025		

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 25525

Registering Offic... Patr...

Date: 24/02/2018

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Saturday, 24th February 2018 by Manorma Sinha S/O-La... Ashok Kumar Sinha by profession Others. Status - Executant

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:24/02/2018

Registering Office... Patn...

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sanjay Kumar Sinha' age '52' Sex 'M', 'S/O-Ashok Kumar Sinha', resident of 'Chandra Bhawan, Chiraiyatand, Patna'.), whose ... Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Office... Patn...

Date : 24/02/2018

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 51 on pages on 160 -179, for the year 2018 and store in CD volume No. CD-8 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Office... Patn...

Date : 24/02/2018

Token No. : 2119 Year : 2018 S.No. : ...099 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 1880

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार

Help

View GRN Details Live

Download e-Challan

GRN	BHR2018020777451
DSRO CODE	2800
Party Name	KUMAR VENKTESHWAR
Stamp Duty-(R0030021030001)	144500
Registration & Other Fees-(R0030031040001)	25025
LR & Proc Fee-(R0029008000006)	0
Challan Total Amount	169525
Status	Success
Payment Date	2018-02-23 17:24:08.0
CIN	null

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

copyright © 2015 Registration, Excise & Prohibition Department

Scanned by CamScanner

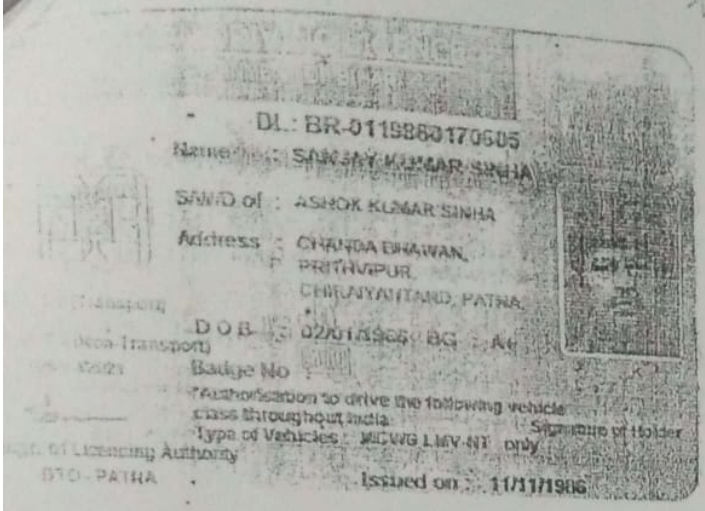

DL: BR-0119860170605

Name : SANJAY KUMAR SINHA

S/W/D of : ASHOK KUMAR SINHA

Address : CHANDA BHAWAN,
PRITHVIPUR,
CHIRAIYANTAND, PATNA.

D O B : 02/01/1966 BG : A+

Badge No :

Authorisation to drive the following vehicle class throughout India

Type of Vehicles : MCWG LMV-NT only

Signature of Holder

Sign. of Licensing Authority
DTO - PATNA

Issued on : 11/11/1986

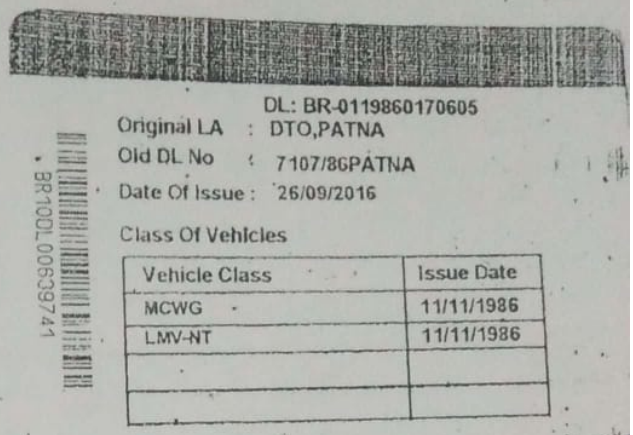

DL: BR-0119860170605

Original LA : DTO,PATNA

Old DL No : 7107/86PATNA

Date Of Issue : 26/09/2016

BR100L00639741

Class Of Vehicles

Vehicle Class	Issue Date
MCWG	11/11/1986
LMV-NT	11/11/1986

Sanjay Kumar Sinha
24/02/18

Scanned by CamScanner

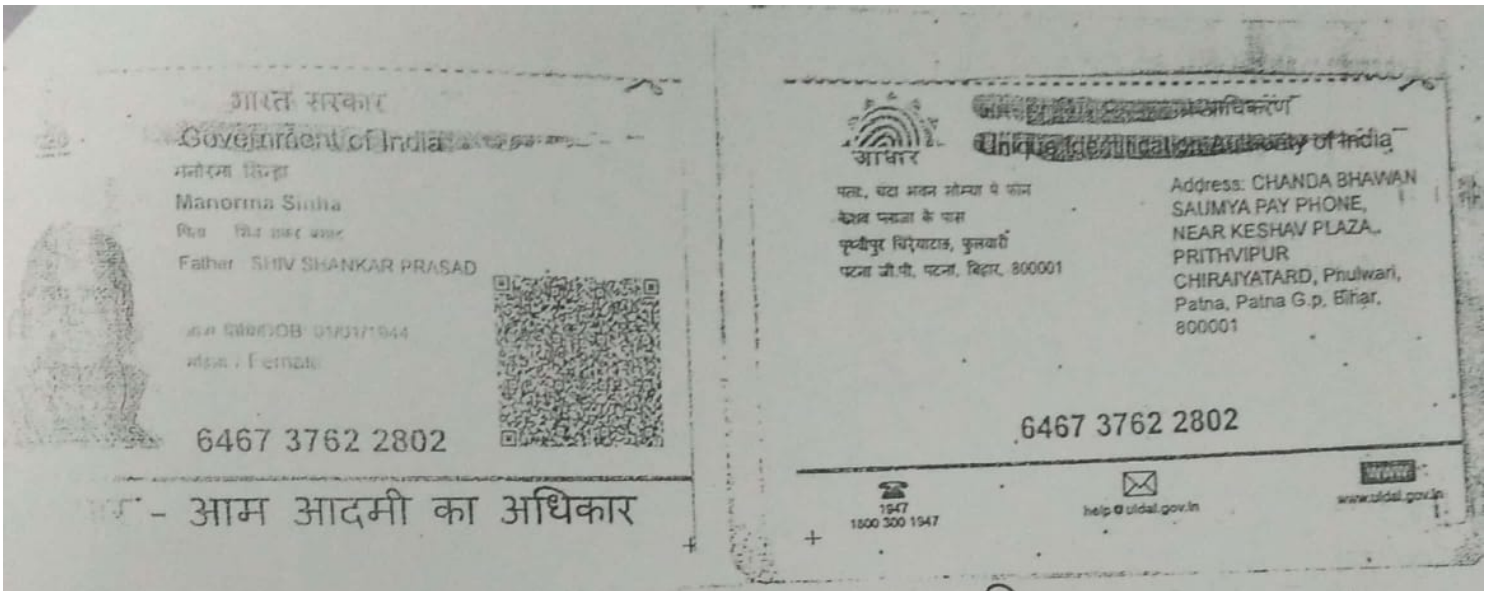
भारत सरकार
Government of India
मनोरमा सिन्हा
Manorma Sinha
Father : SHIV SHANKAR PRASAD
6467 3762 2802
- आम आदमी का अधिकार
आधार
Unique Identification Authority of India
पता, चंदा भवन सौम्या पे फोन
केशव प्लाजा के पास
पृथ्वीपुर चिरैयाटाड, फुलवारी
पटना जी.पी., पटना, बिहार, 800001
Address: CHANDA BHAWAN
SAUMYA PAY PHONE,
NEAR KESHAV PLAZA,
PRITHVIPUR
CHIRAIYATARD, Phulwari,
Patna, Patna G.p, Bihar,
800001
6467 3762 2802
1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

मनोरमा सिन्हा
24-2-2

Scanned by CamScanner